<u>अनुबंध-"ख"</u>

भारत गणराज्य सरकार
और
फिलीपींस गणराज्य सरकार
के बीच
विमान सेवा करार

भारत गणराज्य की सरकार तथा फिलीपींस गणराज्य की सरकार जिन्हें तत्पश्चात 'संविदाकारी पक्ष' कहा गया है;

जो 07 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय से संबधित पक्ष है;

जो अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं चलाने की इच्छुक हैं;

जो स्वीकार करते हैं कि कुशल और प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं से कारोबार, उपभोक्ताओं के कल्याण और आर्थिक विकास में वृद्धि होती है;

जो एयरलाइनों के बीच प्रतिस्पर्द्धा पर आधारित अंतरराष्ट्रीय विमानन प्रणाली को प्रोत्साहित करने के इच्छक हैं;

और

जो अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन में संरक्षा और सुरक्षा के उच्चतम स्तर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तथा विमान की सुरक्षा के विरूद्ध धमकी या कार्रवाई के बारे में अपनी गंभीर चिंता की पुष्टि करते हैं जिससे व्यक्तियों अथवा परिसंपत्तियों की सुरक्षा प्रभावित होती हो जिसे विमान परिवहन के प्रचालन पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ता हो, तथा जिससे जनता के मन में नागर विमानन की संरक्षा के प्रति विश्वास में कमी आती हो;

निम्न प्रकार से सहमत हुए हैं:-

अनुच्छेद-1

परिभाषाएं

इस करार के प्रयोजनार्थ, जहां पाठ में अन्यथा अपेक्षा नहीं की गई है-

1. प्रत्येकपक्ष के लिए ''वैमानिकी प्राधिकारी'' का आशय इस करार के अंतर्गत दिये गए कार्य करने का अधिकार जो समय समय पर एक पक्ष दूसरे पक्ष को समय-समय पर लिखित रूप में यथा अधिसूचित प्राधिकारी या प्राधिकारियों को देता है;
2. 'करार' का आशय इस 'करार', इसके अनुबंध तथा इसमें किए गए किसी भी संशोधन से है;
3. ''हवाई सेवा'',''अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा'',''एयरलाइन'' और ''गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए रूकना'' का अर्थ वही होगा जो अभिसमय के अनुच्छेद ९६ में इन्हें प्रदान किया गया है;

4. "क्षमता" का आशय इस करार के अधीन मुहैया कराई जाने वाली सेवा की मात्रा (मात्राओं) से है, जिसे सामान्यत: एक बाजार (नगर युग्म, या देश से देश) में या/और ऑफर किए गए कार्गो के टनों या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान, जैसे दैनिक, साप्ताहिक, सीजन या वार्षिक रूप से, किसी मार्ग पर उड़ानों (आवृत्तियों) की संख्या के रूप में मापा जाता है;

5. 'अभिसमय' का आशय 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय से है तथा इसमें वह कोई भी संशोधन शामिल है तथा उसी समय के अनुच्छेद 94 (क) के अधीन लागू किया गया है तथा जिसका अनुसमर्थन दोनों पक्षों ने कर दिया है तथा इसमें इस प्रकार के अनुबंध अथवा संशोधन दोनों पक्षे के लिए भी प्रभावी है, अभिसमय के अनुच्छेद 90 के अधीन किसी भी संशोधन को अपनाया गया है;

6. "नामित एयरलाइन" का आशय इस करार के अनुच्छेद 3 (नामन और प्राधिकार) के अनुसार नामित और प्राधिकृत एयरलाइनों से है;

7. "पूर्ण लागत" का आशय सेवा प्रदान करने की लागत जमा प्रशासनिक ऊपरी खर्च के लिए युक्तिसंगत प्रभार से है;

8. "इंटरमोडल हवाई पारवहन" का आशय विमान द्वारा और परिवहन के एकाधिक माध्यमों द्वारा, पारिश्रमिक या किराए के लिए, पृथक रूप से या संयुक्त रूप से, यात्रियों, बैगेज, कार्गो और डाक के सार्वजनिक वहन से है;

9. "टैरिफ" का आशय एयरलाइन (एयरलाइनों), जिनमें उनके एजेंट भी शामिल हैं, द्वारा प्रभारित हवाई सेवा में यात्रियों (और उनके बैगेज) और/या कार्गो (डाक को छोड़कर) के वहन के लिए किसी किराए, दर या प्रभार, और ऐसे किराए, दर या प्रभार की उपलब्धता को शासित करने वाली शर्तों से है;

10. "राज्यक्षेत्र" का आशय वही होगा जो अभिसमय के अनुच्छेद 2 एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून में दिया गया है; और

11. "प्रयोक्ता प्रभार" का आशय हवाईअड्डे, हवाई दिक्चालन या विमानन सुरक्षा सुविधाओं या सेवाओं, जिनमें विमानों, उनके कर्मीदलों, यात्रियों, सामान और कार्गो से संबंधित सेवाएं और सुविधाएं भी शामिल हैं, के प्रावधान के लिए एयरलाइनों पर लगाए गए प्रभार से है।

अनुच्छेद-2

अधिकारों की मंजूरी

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस करार में अनुबंध में उपयुक्त रूप से विनिर्दिष्ट मार्गों पर अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय सेवाओं की स्थापना के प्रयोजन के लिए इस करार को निर्दिष्ट अधिकार प्रदान करेगा। इस प्रकार की सेवाओं और मार्गों को एतद्पश्चात क्रमशः "सहमत सेवाएं" तथा "विनिर्दिष्ट मार्ग" कहा गया है।

2. इस करार के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे:-

(क) बिना अवतरण किए इसके राज्यक्षेत्र के ऊपर उड़ान भरने का अधिकार:

(ख) गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए इसके राज्यक्षेत्र में रूकने का अधिकार; और

(ग) विनिर्दिष्ट मार्ग पर सहमत सेवाओं का प्रचालन करते समय, प्रत्येक पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को इस करार के अनुबंध में मार्गों के लिए वर्णित स्थानों पर अन्य पक्षों के राज्यक्षेत्र में डाक सहित यात्रियों तथा कार्गो में अंतरराष्ट्रीय यातायात अलग से अथवा संयुक्त रूप से उतारने तथा चढ़ाने का अधिकार होगा;और

(घ) इस करार के अंतर्गत निर्दिष्ट अन्य अधिकार।

3. इस करार के अनुच्छेद 3 के अधीन नामित एयरलाइनों से अलग, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की एयरलाइनों एयरलाइन (एयरलाइनों) भी इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) के उप पैराग्राफ (क) और (ख) में निर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग करने के हकदार होंगे।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) की किसी भी बात का अर्थ यह नहीं माना जाएगा कि एक संविदाकरी पक्ष की नमित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा अन्य संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में डाक सहित यात्रियों, कार्गों में विमान पर लेने का विशेष अधिकार मिल गया है जिसे उस अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में किसी और स्थान के लिए भेजा जा रहा है।

5. यदि विशिष्ट और असामान्य परिस्थितियों के कारण एक संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन अपने सामान्य मार्ग पर सेवा प्रचालित नहीं कर पाती तो दूसरा संविदाकारी पक्ष,संविदाकारीपक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से नियत मार्गों के समुचित अस्थायी प्रबंध के जरिए ऐसी सेवाओं का सतत प्रचालन सुगम बनाने के लिए यथासंभव प्रयास करेगा।

6. एक पक्ष की नामित एयरलाइनों को,अन्य संविदाकारी पक्ष द्वारा गैर-पक्षपातपूर्ण आधार पर मुहैया कराए गए हवाई मार्गों, हवाईअड्डों और अन्य सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद-3

एयरलाइनों का नामन और प्राधिकार

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाएं प्रचालित करने के उद्देश्य से एक या अधिक एयरलाइनों को नामित करने और ऐसे नामनों को वापस लेने या परिवर्तित करनेका अधिकार होगा। ऐसा पदाभिधान नामन लिखित रूप में किया जाएगा और उसे राजनयिक चैनलों के माध्यम से संविदाकारी पक्ष को पारेषित किया जाएगा ओर इसमें यह पहचान की जाएगी कि क्या एयरलाइन अनुबंध में विनिर्दिष्ट विमान सेवाओं के प्रकार को संचालित करने के लिए प्राधिकृत है।

2. प्रचालन प्राधिकार तथा तकनीकी अनुमति के लिए निर्धारित फार्म तथा तरीके से नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से इस प्रकार का नामन तथा आवेदन प्राप्त होने पर, अन्य संविदाकारी पक्ष न्यूनतम देरी किए बिना उपयुक्त प्राधिकार तथा अनुमति की स्वीकृति देगी बशर्ते:-

(क) उस एयरलाइन का वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण उस एयरलाइन को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष या इसके राष्ट्रिकों में विहित हो;

(ख) नामित एयरलाइन,आवेदन पर विचार करने वाले पक्ष द्वारा अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के प्रचालन के सामान्यतया लागू कानूनों औरविनियमों के अंतर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए अर्हता प्राप्त है;

(ग) एयरलाइन को नामित करने वाला संविदाकारी पक्ष अनुच्छेद 9 (संरक्षा) तथा अनुच्छेद 10 (विमानन संरक्षा) में निर्धारित मानकों का रख-रखाव तथा प्रशासन कर रहा हो; और

(घ) संविदाकारी पक्ष एयरलाइन अभ्यासों को नामित करती है और ऐसी एयरलाइन पर प्रभावी नियामक नियंत्रण बनाए रखती है।

अनुच्छेद-4

प्रचालनिक प्राधिकार का प्रतिसंहरण या निलंबन

1. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्षको इस अनुबंध के अनुच्छेद 3 (एयरलाइनों का नामन और प्राधि कार) में निर्दिष्ट प्राधिकारणों को वापस लेने का अधिकार होगा, अन्य संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन को प्रदान किए गए प्रचालनिक प्राधिकार को प्रतिसंहरित या निलंबित कर सकता है अथवा ऐसे किसी भी मामले में ऐसी शर्तें लगा सकता है, जैसी वह उपयुक्त समझे, जहां:

(क) उस एयरलाइन का वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण अन्य संविदाकारी पक्ष या इसके राष्ट्रिकों में विहित नहीं है;

(ख) वह एयरलाइन इस करार के अनुच्छेद 6 (कानूनों की प्रयोज्यता) में संदर्भित कानूनों और विनियमों का पालन करने में विफल रहती है;या

(ग) अन्य संविदाकारी पक्ष इस करार के अनुच्छेद 9 (संरक्षा) में निर्धारित मानकों का रखरखाव और प्रशासन नहीं कर रहा है।
(घ) एयरलाइन को नामित करने वाला संविदाकारी पक्ष ऐसी एयरलाइन पर प्रभावी नियामक नियंत्रण बनाए रखता है।

2. जब तक इस अनुच्छेद के पैरा (1) के उपबंध (ख) और (ग) के साथ और आगे अतिलंघन को और आगे रोकने के लिए तात्कालिक कार्रवाई करना अनिवार्य न हो इस अनुच्छेद द्वारा स्थापित अधिकारों का निर्वाह अन्य संविदाकारी पक्ष के साथ विचार विमर्श के बाद ही किया जा सकेगा। इस तरह के परामर्श एक संविदाकारी पक्ष द्वारा अनुरोध प्राप्त होने पर पैंतालीस(45) दिनों के भीतर होंगे।

3. यह अनुच्छेद इस करार के अनुच्छेद 10 (विमानन संरक्षा) के प्रावधानों के अनुसार अन्य संविदाकारी पक्ष की एयरलाइन अथवा एयरलाइनों के प्रचालन प्राधिकार अथवा तकनीकी अनुमति पर रोक, प्रतिसंहरण सीमा या शर्तें लगाने के अधिकार को सीमित नहीं करता।

अनुच्छेद- 5

सहमत सेवाओं के प्रचालन को शासित करने वाले सिद्धांत

1. दोनों पक्षों की नामित एयरलाइनों के लिए अपने-अपने राज्य-क्षेत्रों के बीच विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाएं प्रचालित करने का निष्पक्ष तथा समान अवसर होगा।

2. प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा प्रचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति और मुहैया कराई जाने वाली क्षमता पर दोनों पक्षों के वैमानिक प्राधिकारियों द्वारा सहमति दी जाएगी।

3. प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा प्रचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति और मुहैया कराई जाने वाली क्षमता में कोई भी वृद्धि दोनों पक्षों के वैमानिक प्राधिकारियों के बीच करार के अध्यधीन होगी। ऐसे करार या समाधान के लंबित रहते, पहले से लागू क्षमता और आवृत्ति संबंधी पात्रताएं लागू रहेंगी।

अनुच्छेद 6

कानूनों की प्रयोज्यता

1. एक संविदाकरी पक्ष के भू-भाग में प्रवेश करते समय अथवा वहां से प्रस्थान करते समय,दूसरे संविदाकारी पक्ष की एयरलाइनों द्वारा विमान के प्रचालन तथा दिक्चालन से संबंधित इसके कानून, विनियम तथा नियमों का अनुपालन किया जाएगा।

2. एक संविदाकरी पक्ष के राज्यक्षेत्र में प्रवेश, इसके भीतर रहते और प्रस्थान करते समय, इसके राज्य क्षेत्र से यात्रियों, कर्मीदल अथवा विमान में कार्गो (प्रवेश, क्लीयरेंस, विमान सुरक्षा, आव्रजन, पासपोर्ट, सीमा शुल्क, मुद्रा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, संगरोध अथवा डाक के संबंध में डाक विनियम सहित) प्रवेश करने वाले अथवा प्रस्थान करने वाले से संबंधित इसके कानून और विनियमों का अनुपालन दूसरे पक्ष की एयरलाइनों के ऐसे यात्रियों, कर्मीदल अथवा कार्गो द्वारा उनकी ओर से तदनुरूप अनुपालन सुनिश्चत किया जाएगा।

3. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष आव्रजन, संगरोध तथा इसी प्रकार के विनियमों को लागू करने में इसी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के प्रचालन में लगी हुई अन्य संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन किसी अन्य एयरलाइंस अथवा अपनी स्वयं की एयरलाइंस को कोई प्राथमिकता प्रदान नहीं करेगा।

4. किसी भी संविदाकारी पक्ष के सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र में प्रत्यक्ष ट्रांजिट में आने वाले ओर ऐसे प्रयोजनों के लिए आरक्षित हवाईअड्डे के क्षेत्रों को न छोड़ने वाले यात्री, बैगेज और कार्गो - हिंसा, हवाई पायरेसी, नारकोटिक्स आदि के विरुद्ध सुरक्षोपायों से संबंधित यात्रियों, बैगेज और कार्गो को छोड़कर - अधिकतक एक सामान्यकृत नियंत्रण के अध्यधीन होंगे।

अनुच्छेद- 7

प्रयोक्ता प्रभार

1. प्रत्येक पक्ष के सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों द्वारा अन्य पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) पर लगाए जा सकने वाले प्रयोक्ता प्रभार औचित्यपूर्ण, न्यायपूर्ण होंगे, अन्यायपूर्ण रूप से पक्षपातपूर्ण नहीं होंगे, और प्रयोक्ताओं की श्रेणियों के बीच समान रूप से अनुभाजित होंगे। किसी भी स्थिति में,ऐसे

प्रयोक्ता प्रभारों का अन्य पक्ष की एयरलाइनों पर अभिकलन ऐसी शर्तों पर नहीं किया जाएगा जो प्रभारों को अभिकलित किए जाते समय अन्य किसी एयरलाइन को उपलब्ध सर्वाधिक अनुकूल शर्तों से कम अनुकूल हों।

2. अन्य पक्ष की एयरलाइनों पर लगाए गए प्रयोक्ता प्रभारों में उपयुक्त हवाई अड्डा प्रदान करने वाले निकायों अथवा सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों, हवाई अड्डा पर्यावरण, हवाई दिक्चालन तथा विमानन सुरक्षा सुविधाओं तथा हवाई अड्डे पर अथवा हवाई अड्डा व्यवस्था के भीतर सेवाओं की पूर्ण लागत परिलक्षित होंगी, किन्तु ये इनसे अधिक नहीं होंगे। इस पूर्ण लागत में अवमूल्यन पश्चात् परिसम्पत्तियों पर औचित्यपूर्ण रिटर्न शामिल हो सकती है। जिन सुविधाओं तथा सेवाओं के लिए प्रभार लिए जाते हैं, उन्हें एक कार्यकुशल तथा मितव्ययी आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा।

3. प्रत्येक संविदाकारीपक्ष अपने राज्य क्षेत्र में सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों अथवा निकायों तथा सेवाओं व सुविधाओं का उपयोग कर रही एयरलाइनों के बीच विचार विमर्श को प्रोत्याहित करेगा। सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों अथवा निकायों तथा एयरलाइनों को पैरा (1) तथा (2) के सिद्धातों के अनुरूप प्रभारों के औचित्य की सही-सही समीक्षा की अनुमति के लिए आवश्यक ऐसी सूचना के विनिमय के लिए प्रोत्साहित करेगा। प्रत्येक संविदाकारीपक्ष सक्षम प्रभारी प्राधिकारियोंको प्रोत्साहित करेगा कि वे प्रयोजनाओं को प्रयोक्ता प्रभारोंमें परिवर्तनों के किसी प्रस्ताव के औचित्यपूर्ण नोटिस प्रदान करें जिससे कि प्रयोक्ता परिवर्तनों के कार्यान्वित होने से पहले अपने मत व्यक्त कर सकें।

4. कोई भी संविदाकारी पक्ष, अनुच्छेद 20 (विवादों का निपटान) के अनुसरण में विवाद निपटान प्रक्रियाओं में, इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करेगा,यदि:

(क) इसने उस प्रभार या परिपाटी की समीक्षा की है जो दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा एक औचित्यपूर्ण समय के भीतर शिकायत किए जाने के अध्यधीन है;और

(ख) ऐसी समीक्षा के अनुसरण में, इसने अपनी शक्तियों के भीतर इस अनुच्छेद के प्रतिकूल किसी भी प्रभार अथवा परिपाटी का उपचार करने के सारे कदम उठाए हों।

-

अनुच्छेद- 8

सीमा शुल्क तथा प्रभार

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को, पारस्परिकता के आधार पर, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइनों को नियमित विमान उपस्कर, ईंधन, स्नेहकों, उपभोज्य तकनीकी आपूर्तियों, स्पेयर पार्ट, जिनमें इंजन शामिल है, तथा विमान भंडार (जिसमें भोजन, पेय तथा शराब, तम्बाकू जैसी मदें और अन्य उत्पाद शामिल हैं, जो केवल विमान के प्रचालन या सर्विसिंग के संबंध में बिक्री या प्रयुक्त किए जाने के लिए अभिप्रेत हैं, किन्तु इन तक सीमित नहीं है,) और अन्य मदों, जैसे मुद्रित टिकट स्टॉक, एयर वे बिल, स्टाफ यूनीफॉर्म और अन्य कोई मुद्रित सामग्री जिस पर कंपनी का निशान हो और नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा नि:शुल्क वितरित की जाने वाली सामान्य प्रकाशन सामग्री पर अन्य पक्ष द्वारा पारस्परिकता के आधार पर अपने कानूनों के अंतर्गत कस्टम शुल्कों, आककारी

करों, निरीक्षण शुल्कों तथा ऐसे ही शुल्कों तथा प्रभारों, से पूर्व संभव सीमा तक छूट प्रदान की जाएगी।

2. इस अनुच्छेद के अधीन छूटें केवल तभी प्रदान की जाएंगी यदि पैरा (1) में संदर्भित मदें:

(क) एक संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में अन्य संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा या इनकी ओर से लाई गई हों;

(ख) एक संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के विमान में अन्य संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में पहुँचने और राज्यक्षेत्र को छोड़ने तक रखी गई हों; या

(ग) एक संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के विमान में अन्य संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में सहमत सेवाएं प्रचालित करने में इस्तेमाल के लिए रखी गई हों।

3. इस अनुच्छेद के अधीन छूटों का इस तथ्य से कोई संबंध नहीं होगा कि ऐसी मदें छूट प्रदान किए जाने वाले संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र के भीतर प्रयुक्त की गई हों या इनका पूरी तरह उपभोग किया गया हो, बशर्ते ऐसी मदों का स्वामित्व उक्त संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में स्थानांतरित न किया गया हो।

4. किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) के विमानों में सामान्यत: नियमित उड़ानगत उपस्कर के साथ साथ सामग्री, भंडार सामग्री और आपूर्तियां, अन्य संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में उस संविदाकारी पक्ष के सीमाशुल्क प्राधिकारियों के अनुमोदन से ही उतारी जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में ऐसी मदों को उतने समय तक उक्त प्राधिकारियों के पर्यवेक्षण में रखा जाना अपेक्षित हो जितने समय में उन्हें सीमाशुल्क विनियमों के अनुसार पुन: निर्यात किया गया हो या अन्यथा निपटान किया गया हो।

अनुच्छेद 9

संरक्षा

1. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष वैमानिकी सुविधाओं, विमान कर्मी, विमान और नामित एयरलाइन के प्रचालन से संबंधित अन्य संविदाकारीपक्ष द्वारा नामित एयरलाइन के संबंध में अनुरक्षित संरक्षा मानकों से संबंधित परामर्श करने का अनुरोध कर सकता है। ऐसे परामर्श अनुरोध किए जाने के 30 दिन या पक्षों के बीच सहमत किसी और अधिक अवधि के भीतर किए जाएंगे।

2. यदि परामर्श के बाद एक संविदाकारी पक्ष को यह पता चलता है कि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) में वर्णित क्षेत्रों में संरक्षा मानकों, जिन्हें अभिसमय के अनुसार संरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है, को अन्य संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइनों के संबंध में प्रभावी रूप से अनुरक्षित और प्रशासन नहीं किया जा रहा है तो अन्य संविदाकारी पक्ष इस प्रकार के निष्कर्ष तथा इन न्यूनतम मानकों के अनुरूप आवश्यक समझे जाने वाले कदमों को अधिसूचित कर सकेगा, तथा अन्य संविदाकारीपक्ष द्वारा उपयुक्त निवारक कार्रवाई 30 दिनों के भीतर की जाएगी।

3. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के पास अन्य संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन अथवा एयरलाइनों के प्रचालन प्राधिकार अथवा तकनीकी अनुमति के निलंबन अथवा सीमित करने का अधिकार आरक्षित होगा यदि अन्य संविदाकारी पक्ष द्वारा 30 दिनों के भीतर उपयुक्त निवारक कार्रवाई नहीं की जाती है।

4. इस पर सहमति प्रदान की जाती है कि एक संविदाकारी पक्ष की किसी एयरलाइन द्वारा अन्य पक्ष के राज्यक्षेत्र के लिए या से सेवाओं पर प्रचालित कोई भी विमान, अन्य संविदाकारी पक्ष के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जांच के अध्यधीन होगा, ताकि विमान और कर्मीदल दोनों के दस्तावेजों और विमान की प्रत्यक्ष स्थिति और इसके उपस्कर के वैधता की जांच (इस अनुच्छेद में ''रैंप निरीक्षण'') की जा सके, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप कोई अनुचित विलंब न हो।

5. यदि रैंप निरीक्षण या निरीक्षणों की श्रृंखला निम्न को उत्पन्न करती हो:

- ऐसी गंभीर चिंताएं कि कोई विमान या विमान का प्रचालन अभिसमय के अनुसरण में उस समय स्थापित न्यूनतम मानदंडों का अनुपालन नहीं कर रहा है; या

- ऐसी गंभीर चिंताएं कि अभिसमय के अनुसरण में उस समय स्थापित न्यूनतम संरक्षा मानदंडों के प्रभावी अनुरक्षण और प्रशासन की कमी है;

तो निरीक्षण करने वाला संविदाकारी पक्ष, अभिसमय के अनुच्छेद 33 के उद्देश्य से, यह निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र होगा कि जिन अपेक्षाओं के अधीन उस विमान के संबंध में या उस विमान के कर्मीदल के संबंध में प्रमाणपत्र या लाइसेंस जारी किया गया है या वैध ठहराया गया है या जिन अपेक्षाओं के अधीन वह विमान प्रचालित हो रहा है, वे अभिसमय के अनुसरण में उस समय स्थापित न्यूनतम मानदंडों के समान या इनसे अधिक नहीं हैं।

6. इस अनुच्छेद के पैरा (4) के अनुसार एक पक्ष की किसी एयरलाइन द्वारा प्रचालित किसी विमान का रैंप निरीक्षण करने के उद्देश्य प्रवेश से उस विमान के प्रतिनिधि द्वारा मना किए जाने की स्थिति में, अन्य पक्ष इस अनुच्छेद के पैरा (5) में संदर्भित प्रकार की गंभीर चिंताओं का उत्पन्न होने का आशय निकालने के लिए और उस पैरा में सं दर्भित निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र होगा।

7. रैंप निरीक्षण, निरीक्षणों की श्रृंखला के परिणामस्वरूप या रैंप निरीक्षण से मना करने की स्थिति में, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के पास अन्य संविदाकारी पक्ष की किसी एयरलाइन या एयरलाइनों के प्रचालनिक प्राधिकार को निलंबित करने या परिवर्तित करने और यह निष्कर्ष निकालने का अधिकार आरक्षित होगा कि एयरलाइन प्रचालन की संरक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई करना अनिवार्य है।

8. एक बार इस अनुच्छेद के पैरा (3) से (7) के अनुसार कार्रवाई करने का आधार समाप्त हो जाने के बाद, एक संविदाकारी पक्ष द्वारा की जा रही कोई भी कार्रवाई बंद कर दी जाएगी।

अनुच्छेद-10

विमानन सुरक्षा

1. अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों तथा दायित्वों के अनुरूप दोनों संविदाकारी पक्ष पुनः इस बात की पुष्टि करते हैं कि गैर-कानूनी हस्तक्षेप के कृत्यों के विरुद्ध नागर विमानन सुरक्षा का बचाव करने के बारे में एक दूसरे के प्रति उनका दायित्व, इस करार का अभिन्न अंग है। अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने-अपने अधिकारों तथा दायित्वों की व्यापकता को कम किये बिना, दोनों संविदाकारी पक्ष विशेष रूप से, 14 सितम्बर, 1963 को टोक्यों में हस्ताक्षरित वायुयान में किये गये अपराधों एवं कतिपय अन्य कृत्यों से संबंधित अभिसमय, 16 दिसम्बर, 1970 को हेग में हस्ताक्षरित वायुयान के विधि विरुद्ध अभिग्रहण के दमन संबंधी अभिसमय,23 सितम्बर, 1971 को मॉंट्रियल में हस्ताक्षरित सिविल विमानन सुरक्षा संबंधी विधि-विरुद्ध कार्य दमन अभिसमय, 24 फरवरी, 1988 को मॉंट्रियल में हस्ताक्षरित सिविल विमान सेवारत विमानपत्तनों पर हिंसा वाले विधि विरुद्ध कृत्यों के दमन हेतु अनुपूरक प्रोटोकॉल के साथ-साथ नागर विमानन की सुरक्षा से संबंधित ऐसी किसी भी अन्य अभिसमय तथा प्रोटोकॉल, जिसका पालन दोनों संविदाकारी पक्ष करते हों, के अनुरूप कार्रवाई करेंगे।

2. अनुरोध किये जाने पर दोनों संविदाकारी पक्ष गैरकानूनी रूप से सिविल विमानों के अभिग्रहण किये जाने और ऐसे विमान, उसके यात्रियों, कार्मिकों, हवाईअड्डों और हवाई दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध गैरकानूनी कृत्योंसे बचाव के लिए अथवा नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध किसी अन्य खतरे के लिए एक दूसरे को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

3. दोनों संविदाकारी पक्ष अपने परस्पर संबंधों में, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) द्वारा स्थापित और अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के अनुबंधों के रूप में नामित नागत विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप उस सीमा तक कार्य करेंगे जहां तक वे इन संविदाकारी पक्षों पर लागू होते हैं। वे अपने पंजीकृत विमान प्रचालकों या ऐसे विमान प्रचालकों जिनके व्यवसाय का प्रमुख स्थान अथवा स्थाई निवास उनके राज्य क्षेत्र में है तथा उसके क्षेत्र में हवाईअड्डों के प्रचालकों से यह अपेक्षा करेंगे कि वह इन विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य करेंगे।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्य क्षेत्र में प्रवेश करते समय अपेक्षित सुरक्षा प्रावधानों का पालन करने औरविमानकी सुरक्षा करने तथा यात्रियों, कर्मीदल, ले जाई जाने वाली वस्तुओं, सामान, कार्गो तथा विमान भंडार विमान में लादने से पहले या उसके दौरान, उसकी जांच करने के लिए प्रभावी उपाय करनेपर सहमत है। प्रत्येक पक्ष किसी विशेष खतरे का मुकाबला करनेहेतु विशेष उपयुक्त सुरक्षा उपाय करने के लिए एक दूसरे पक्ष द्वारा किये गये अनुरोधों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार भी करेगा।

5. जब किसी सिविल विमान के गैरकानूनी अभिग्रहण का खतरा या इस प्रकार के खतरे की घटना घटती है या किसी ऐसे विमान, उसके यात्रियों और कार्मिकों, हवाईअड्डों और हवाई दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध कोई गैरकानूनी कार्य किया जाता है तो संविदाकारी पक्ष, इस प्रकार की घटनाओं अथवा उनके खतरे को तुरंत समाप्त करने के लिए संचार सुविधाएं प्रदान करके तथा अन्य उपयुक्त उपाय करके एक दूसरे की सहायता करेंगे।

6. जब एक संविदाकारी पक्ष के पास यह विश्वास करने के औचित्यपूर्ण आधार हो कि दूसरा संविदाकारी पक्ष इस अनुच्छेद के विमानन सुरक्षा संबंधी प्रावधानों से विमुख हो गया है, तो उस

संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों के साथ तुरंत परामर्श का अनुरोध कर सकते हैं, जो ऐसे आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। इस अनुरोध की तिथि से 15 दिनों के भीतर किसी संतोषजनक समझौते पर पहुंचने में विफल रहने पर उस संविदाकारी पक्ष की एयरलाइन अथवा एयरलाइनों के प्रचालनिक प्राधिकरण तथा तकनीकी अनुमति वापस लिए जाने, समाप्त किए जाने, सीमित किए जाने अथवा उन पर शर्तें लगाने का आधार बन जाएंगे। किसी आपात स्थिति में आवश्यकता होने पर एक संविदाकारी पक्ष 15 दिनों के समाप्त होने से पहले अन्तरिम कार्रवाई कर सकता है।

7. पैरा (6) के अनुसार की गई कोई भी कार्रवाई अन्य संविदाकारी पक्ष द्वारा इस अनुच्छेद के अनुपालन के बाद बंद कर दी जाएगी।

अनुच्छेद 11

वाणिज्यिक अवसर

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की एयरलाइन (एयरलाइनों) को हवाई सेवाओं, और हवाई सेवाओं के प्रावधान के लिए अपेक्षित अन्य सहायक उत्पादों और सुविधाओं के संवर्धन और बिक्री के लिए, अन्य संविदाकारी पक्ष के राज्य क्षेत्र में कार्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की एयरलाइन (एयरलाइनें), प्रवेश, आवास और रोजगार के संबंध में अन्य पक्ष के कानूनों और विनियमों के अनुसार, अन्य संविदाकारी पक्ष के राज्य क्षेत्र में हवाई सेवाओं और अन्य अनुषंगी उत्पादों और सुविधाओं के प्रावधान के लिए अपेक्षित प्रबंधकीय, बिक्री, तकनीकी, प्रचालनिक और अन्य विशेषज्ञ स्टाफ को लाने और अनुरक्षित करने की हकदार होंगी। ऐसी स्टाफ संबंधी आवश्यकताओं को, एयरलाइन के विकल्प पर, किसी भी राष्ट्रीयता वाले अपने स्वयं के कार्मिकों द्वारा, या दूसरे संविदाकारी पक्ष राज्यक्षेत्र में प्रचालन करने वाली किसी अन्य एयरलाइन, संगठन या कंपनी की सेवाओं का उपयोग करके, पूरा किया जा सकता है और इन्हें उस अन्य संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में ये सेवाएं निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है।

3. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की कोई भी एयरलाइन अन्यसंविदाकारीपक्ष के राज्य क्षेत्र में हवाई सेवाओं और अन्य अनुषंगी उत्पादों, सेवाओं और सुविधाओं की सीधी, या एयरलाइन के विवेकाधिकार पर, अपने एजेंटों के माध्यम से, बिक्री में संलिप्त हो सकती है। इस प्रयोजनार्थ, एयरलाइन को अपने पारवहन दस्तावेजों संबंधी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने का अधिकार होगा और कोई भी व्यक्ति उस राज्यक्षेत्र की मुद्रा में या स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में ऐसे पारवहन और इसके अनुषंगी उत्पादों, सेवाओं और सुविधाओं को क्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा।

4. इस अनुच्छेद में विहित किसी भी बाद के बावजूद, इस अनुच्छेद के अधीन अधिकारों को प्रयोग इस करार के उद्देश्यों के अनुरूप प्रयोज्य घरेलू नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा। यदि एकसंविदाकारीपक्ष अन्य संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइनों द्वारा स्थानीय रूप से संवितरित धनराशियों से अधिक स्थानीय राजस्वों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाता है, तो दूसरे संविदाकारी पक्ष को प्रथम संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइनों पर व्युत्क्रमिक प्रतिबंध लगाने का अधिकार होगा।

5. प्रत्येक संविदाकारीपक्ष की एयरलाइन को स्थानीय मुद्रा में अन्य संविदाकारीपक्ष के क्षेत्र में, ईंधन की खरीद सहित स्थानीय खर्चों के लिए भुगतान करने की अनुमति होगी। उनके विवेक पर, प्रत्येक संविदाकारीपक्ष की एयरलाइन (एयरलाइनों) अन्य संविदाकारीपक्ष के क्षेत्र में इस तरह के खर्चों का भुगतान अन्य संविदाकारीपक्षके राष्ट्रीय नियमों के अनुसार स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में कर सकती है।

6. इस अनुच्छेद में कोई वस्तु निहित होने के बावजूद, इस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग लागू घरेलू नियमों और विनियमों के साथ-साथ घरेलू कर कानूनों या लागू दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अनुसार होगा। यदि एक संविदाकारीपक्षअन्य संविदाकारीपक्षके नामित एयरलाइनों के अधिकारों पर कोई प्रतिबंध लगाती है, इसी तरह के प्रतिबंध दूसरे संविदाकारीपक्षद्वारा पहले संविदाकारीपक्षके नामित एयरलाइंस पर लगाए जा सकते हैं।

अनुच्छेद – 12

सहकारी विपणन व्यवस्थाएं

1. प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनें) निम्नलिखित के साथ सहकारी विपणन व्यवस्थाएं जैसे कोड शेयर, ब्लॉक स्पेस अथवा कोई अन्य वाणिज्यिक करार कर सकती है :

(क) उसी संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनें); अथवा
(ख) अन्य संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनें); अथवा
(ग) तृतीय पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनें)।

2. किसी भी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनें) दूसरे पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के साथ, अन्य पक्षकार के राज्यक्षेत्र के भीतर, कैबोटाज अधिकारों का प्रयोग किए बिना, अंतरराष्ट्रीय यातायात के माध्यम से विमानवहन के लिए, प्वाइंट्स ऑफ कॉल के बीच के साथ-साथ एक प्वाइंट ऑफ कॉल और प्रथम पक्षकार की नामित एयरलाइनों के लिए इस प्रयोजनार्थ अतिरिक्त रूप से सहमत किसी अन्य प्वाइंट (प्वाइंट्स) के बीच, घरेलू कोड शेयर करार भी कर सकती हैं।

3. सहकारी विपणन व्यवस्थाओं में शामिल प्रचालनिक एयरलाइन (एयरलाइनों) के पास अंतर्निहित यातायात अधिकार रहेंगे जिनमें मार्ग अधिकार और क्षमता पात्रताएं शामिल हैं, और ये ऐसे करारों पर सामान्यत: लागू अपेक्षाओं को पूरा करेंगी।

4. सहकारी सेवा विपणन व्यवस्थाओं में शामिल सभी विपणन एयरलाइन (एयरलाइनों) के पास अंतर्निहित मार्ग अधिकार रहेंगे और वे ऐसी व्यवस्थाओं पर सामान्यत: लागू अपेक्षाओं को पूरा करेगी (करेंगी)।

5. किसी तीसरे देश के नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के साथ कोड साझा करने के लिए, संबंधित तीसरे देश के साथ अनुबंध करने वाले समूह के संबंधित विमान सेवा करार में तीसरे देश के कोड शेयर की अनुमति देने का प्रावधान होगा।

6. ऐसी व्यवस्थाओं के तहत निष्पादित हवाई सेवाओं द्वारा प्रचालित कुल क्षमता की गणना केवल प्रचालनकर्ता एयरलाइन (एयरलाइनों) को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष की क्षमता पात्राता की तुलना में की जाएगी। ऐसी सेवाओं पर विपणन एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा ऑफर की जाने वाली क्षमता की गणना उस एयरलाइन को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष की क्षमता पात्रता की तुलना में नहीं की जाएगी।

7. प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को, विमानों की संख्या, आकार और प्रकार के लिहाज से बिना किसी प्रतिबंध के, कोड-शेयर प्रचालनों में शामिल विमानों के बीच यातायात को अंतरित (अर्थात् स्टारबर्स्ट) की अनुमति होगी।

8. प्रचालनकर्ता एयरलाइन (एयरलाइनों) के अतिरिक्त, प्रत्येक पक्ष के वैमानिक प्राधिकारीविपणन एयरलाइन (एयरलाइनों) से अनुमोदन के लिए अनुसूचियां फाइल करने तथा सहकारी विपणन करारों के तहत हवाई सेवाओं को आरंभ करने से पहले कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराने की अपेक्षा रख सकते हैं।

9. ऐसे करारों के तहत बिक्री के लिए सेवाओं को होल्ड आउट करते समय, संबंधित एयरलाइन अथवा उसका एजेंट बिक्री के समय खरीदार के समक्ष यह स्पष्ट करेगा कि सेवा के प्रत्येक सेक्टर पर कौन सी एयरलाइन प्रचालनकर्ता एयरलाइन होगी तथा खरीदार कौन सी एयरलाइन (एयरलाइनों) के साथ करारगत समझौता कर रहा है।

10. कोड शेयरिंग सेवाएं मुहैया कराने से पहले, कोड शेयरिंग भागीदार इस बात पर सहमत होंगे कि कौन सा पक्ष देनदारी और उपभोक्ता संबंधी मामलों, सुरक्षा, संरक्षा और सरलीकरण के संबंध में उत्तरदायी होगा। इन शर्तों को निर्धारित करने वाला करार कोड शेयर करारों के कार्यान्वयन से पहले दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के समक्ष फाइल किया जाएगा।

अनुच्छेद 13

इंटरमोडल सेवाएं

प्रत्येक संविदाकारीपक्ष की अभिहित एयरलाइन (एयरलाइनों) को, यात्रियों तथा कार्गो के हवाई परिवहन के संबंध में, अन्य संविदाकारी पक्ष की प्रादेशिक सीमा में या तीसरे देशों में, किसी स्थल के लिए या से कोई इंटरमोडल परिवहन चलाने की अनुमति होगी। ऐसी एयरलाइन (एयरलाइनें) अपने स्वयं के इंटरमोडल परिवहन चलाने या अन्य वाहकों के साथ कोड शेयर सहित अन्य प्रबंधों के माध्यम से इसे उपलब्ध कराने के विकल्प का चयन कर सकती हैं। इंटरमोडल सेवाएं संयुक्त हवाई और

इं टरमोडल परिवहन के लिए सीधी सेवा के रूप में और एकल मूल्य पर प्रदान की जा सकेगी, परंतु यह तब जबकि यात्रियों और पोत स्वामियों के साथ-साथ ऐसे परिवहन के सेवा प्रदाताओं को सूचित कर दिया गया हो।

अनुच्छेद 14

अनुसूचियों का अनुमोदन

1. प्रत्येक संविदाकारीपक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी अन्य संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से अपेक्षा कर सकते हैं कि वे सहमत सेवाएं आरंभ करने के कम से कम 30 दिन पहले, उड़ान अनुसचियों, जिनमें सेवा की श्रेणी और इसकी आवृत्ति, प्रयुक्त किए जाने वाले विमानों की श्रेणी तथा प्रत्येक स्थान पर उड़ान के समय से संबंधित सूचना शामिल हो, उन्हें विचार तथा अनुमोदन के लिए फाइल करे। इसी प्रकार की सूचना प्रत्येक आयटा (अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन संघ) यातायात सीजन से कम से कम 30 दिन पहले कराई जानी चाहिए। इसी प्रकार की प्रक्रिया जब कभी भी सहमत सेवाओं के प्रचालन के संबंध में कोई परिवर्तन किया जाना हो, तब भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) अन्य संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को संतुष्ट करने के लिए कोई अन्य सूचना भी प्रस्तुत करेंगे कि इस करार की सभी अपेक्षाएं विधिवत रूप से पूर्ण की जा रही हैं।

अनुच्छेद 15

आंकड़ों का प्रावधान

1. प्रत्येक संविदाकारीपक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारीपक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को उस दूसरे पक्ष के राज्य क्षेत्र में आने वाली और वहां से जाने वाली सहमत सेवाओं पर प्रत्येक माह के दौरान वाहित यातायात से संबंधित आंकड़े भेजेंगे अथवा अपनी नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को भिजवाएंगे जिनमें इस प्रकार के यातायात के चढ़ने और उतरने के स्थलों का उल्लेख किया गया हो। इस प्रकार के आंकड़े प्रत्येक मास की समाप्ति के बाद यथासंभव शीघ्र दिये जाएंगे किन्तु यह अवधि उस माह के बाद 30 दिन से अधिक की नहीं होगी जिससे ये संबंधित हैं।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनें), अनुरोध किए जाने पर, अन्य संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारियों को, उस अन्य संविदाकारी पक्ष के राज्य-क्षेत्र के लिए और से वहन किए जाने वाले यातायात के मूल प्रारंभिक स्थान और गंतव्य से संबंधित आंकड़े मुहैया कराएंगे, या अपनी नामित एयरलाइनों से मुहैया करवाएंगे।

अनुच्छेद 16

टैरिफ

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा प्रचालित सहमत सेवाओं के संबंध में टैरिफ का निर्धारण प्रचालन की लागत और युक्तिसंगत लाभ सहित सभी संगत कारकों को महत्व देते हुए युक्तिसंगत स्तरों पर बाजार स्थल में अपने वाणिज्यिक लाभों के आधार पर प्रत्येक नामित एयरलाइन द्वारा किया जाएगा।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्षको अपने क्षेत्र से आने वाले परिवहन के लिए टैरिफ के निर्दिष्ट एयरलाइनों द्वारा अधिसूचना या अधिकारियों के साथ शामिल करने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे मामलों में जहां पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है, संबंधितसंविदाकारी पक्षके वैमानिक अधिकारी न्यूनतम प्रक्रियात्मक देरी के साथ ऐसे शुल्कों के अनुमोदन के लिए आवेदन पर कार्य करेंगे। तथापि, यदि फाइल किए गए टैरिफ को अनुमोदित देने की तिथि से सात (7) दिनों के भीतर निर्दिष्ट एयरलाइन (एस) द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है, तो दायर किए गए टैरिफ को अनुमोदित माना जाएगा।एक संविदाकारी पक्षदूसरे संविदाकारी पक्षके साथ परामर्श के बाद ही अन्य संविदाकारी पक्षके निर्दिष्ट एयरलाइन (एस) द्वारा दायर टैरिफ को अस्वीकार कर सकती है।इस तरह के परामर्श उस संविदाकारी पक्षद्वारा ऐसे अनुरोध के तीस (30) दिनों के भीतर आयोजित किए जाएंगे।इस तरह के करार की अनुपस्थिति में, पहले से मौजूद टैरिफ प्रभावी रहेगा

3. पूर्ववर्ती उपबंधों के बावजूद, प्रत्येक संविदाकारीपक्षको निम्नलिखित के संबंध में हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा:

(क) ऐसे टैरिफ की रोकथाम, जिसके लागू होने से प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार उत्पन्न होता हो जिसका प्रभाव किसी प्रतिस्पर्धा के अधिकारों में कटौती अथवा किसी प्रतिस्पर्धा को किसी मार्ग से हटाए जाने के रूप में हो सकता हो,

(ख) उपभोक्ताओं की ऐसे मूल्यों से रक्षा जो किसी प्रभावशाली स्थिति के दुरूपयोग की वजह से अत्यधिक हों या प्रतिरोधक हों, तथा

(ग) एयरलाइनों की ऐसे मूल्यों से रक्षा जो नुकसानदायक हों अथवा कृत्रिम रूप से कम हों।

4. इस अनुच्छेद के पैरा (3) में दिए गए उद्देश्यों के लिए प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइनें,अनुरोध किए जाने पर, दूसरे संविदाकारीपक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को ऐसे वैमानिकी प्राधिकारियों द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से टैरिफ की स्थापना से संबंधित सूचना उपलब्ध कराएंगी।

5. यदि एक संविदाकारीपक्ष यह मानता है कि इस अनुच्छेद के पैरा (3) में निर्धारित किए गए उद्देश्यों के अनुसार दूसरे संविदाकारीपक्ष की नामित एयरलाइन द्वारा वसूल किए जाने वाले प्रस्तावित टैरिफ सही प्रतीत होते हैं तो यह विचार विमर्श का अनुरोध कर सकता है और जितनी जल्दी हो सके अपनी असहमति के कारणों को दूसरे संविदाकारीपक्ष को अधिसूचित कर सकता है। इस प्रकार के विचार विमर्श अनुरोध के प्राप्त होने से 30 दिनों बाद नहीं किए सकेंगे। यदि संविदाकारीपक्ष टैरिफ के संबंध में किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं जिसके लिए असंतुष्ट होने का नोटिस दिया जा चुका है तो प्रत्येक संविदाकारीपक्ष करार को प्रभावी बनाने के लिए बेहतर प्रयास करेगा। इस प्रकार के परस्पर करार के बिना पिछले वर्तमान टैरिफ आगे भी लागू होंगे।

अनुच्छेद 17

बहुपक्षीय करार

1. इस करार के कार्यान्वयन में, संविदाकारी पक्ष वहां तक अभिसमय के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेंगे जहां तक ये प्रावधान अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं पर लागू होते हैं।

2. यदि, इस करार के लागू होने के बाद, दोनों संविदाकारी पक्ष किसी बहुपक्षीय करार के पक्षकार हो जाते हैं जिसमें इस करार में निहित मामलों पर चर्चा की गई हो, तो अनुच्छेद 18 के अनुसार कोई भी संविदाकारी पक्ष, यह निर्धारित करने के लिए, कि क्या बहुपक्षीय करार को ध्यान रखते हुए इस करार को संशोधित किया जाना चाहिए, परामर्श के लिए अनुरोध कर सकता है।

अनुच्छेद 18

परामर्श

1. कोई भी संविदाकारी पक्ष, किसी भी समय, इस करार की व्याख्या, प्रयोज्यता, कार्यान्वयन या संशोधन या इस करार के अनुपालन के संबंध में परामर्श के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकता है।

2. यदि संविदाकारी पक्षों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, तो ऐसे परामर्श, जो चर्चा या पत्राचार के जरिए हो सकते हैं, अन्य पक्ष द्वारा यह अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर आरंभ होंगे।

अनुच्छेद 19

संशोधन

1. इस प्रकार सहमत कोई भी करार लिखित रूप में इस करार के अनुच्छेद 23 के प्रावधानों के अनुसार प्रभावी होगा।

2. पैरा (2) के बावजूद, संविदाकारी पक्ष इस करार के अनुबंध में होने वाले किसी भी संशोधन को तुरंत प्रभावी करने पर सहमत हो सकते हैं।

अनुच्छेद 20

विवादों का निपटान

1. इस करार के तहत उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद, जिसे औपचारिक परामर्श द्वारा सुलझाया नहीं जा सका हो, पक्षकारों की सहमति से किसी व्यक्ति अथवा निकाय को भेजा जा सकता है। यदि पक्षकार इस प्रकार सहमत नहीं होते हैं, तो विवाद को, किसी भी पक्षकार के अनुरोध से, निम्नानुसार निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप मध्यस्थ को प्रस्तुत किया जा सकता है।

2. तीन मध्यस्थों के अधिकरण द्वारा मध्यस्थता की जाएगी जिसका गठन निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) मध्यस्थता के अनुरोध की प्राप्ति के बाद 30 दिन के भीतर, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष एक मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा। तीसरे देश के राष्ट्रिक, जो इस अधिकरण के अध्यक्ष का काम करेगा, की नियु क्ति दूसरे माध्यस्थ की नियु क्ति के 60 दिन के भीतर, दोनों मध्यस्थों के बीच सहमति द्वारा तीसरे मध्यस्थ के रूप में की जाएगी।

(ख) यदि कोई भी पक्षकार एक मध्यस्थ का नाम बताने में विफल रहता है, अथवा इस पैरा के खंड (क) के अनुरूप तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं होती है, तो कोई भी पक्षकार 30 दिनों के भीतर आवश्यक मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन परिषद के अध्यक्ष से अनुरोध कर सकता है। यदि परिषद का अध्यक्ष दोनों पक्षकारों में से एक पक्षकार की राष्ट्रीयता वाला है, तो वरिष्ठतम उपाध्यक्ष जो इस आधार पर अयोग्य न हो यह नियुक्ति करेगा। अध्यक्ष अथवा वरिष्ठतम उपाध्यक्ष द्वारा इस पैरा के अंतर्गत तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति किए जाने की स्थिति में, उस तीसरे मध्यस्थ की राष्ट्रीयता किसी भी पक्षकार की राष्ट्रीयता नहीं होगी।

3. इस अनुच्छेद में यहां इसके बाद किए गए प्रावधान अथवा संविदाकारी पक्षों द्वारा अन्यथा सहमति होने की स्थिति को छोड़कर,अधिकरण इस करार के अनुरूप अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करेगा ओर अपने प्रक्रियागत नियम स्था पित करेगा। अधिकरण के विवेकाधिकार पर अथवा किसी भी संविदाकारीपक्ष के अनुरोध पर,अधिकरण के पूरी तरह गठित हो जाने के बाद 15 दिनों के भीतर मध्यस्थता के निश्चित मुद्दों तथा अनुसरित की जाने वाली विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए एक बैठक की जाएगी।

4. संविदाकारी पक्षों द्वारा अन्यथा सहमति या अधिकरण द्वारा किए गए निर्धारण को छोड़कर, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अधिकरण के पूरी तरह गठित हो जाने के 45 दिन के भीतर एक ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। उत्तर 60 दिन के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे। अधिकरण किसी भी संविदाकारी पक्ष के अनुरोध पर, या अपने विवेकाधिकार पर, उत्तर के देय होने 15 दिन के भीतर सुनवाई आयोजित करेगा।

5. अधिकरण सुनवाई के पूरा होने के 30 दिन के भीतर, अथवा यदि कोई सुनवाई न हुई हो, तो दोनों पक्ष के उत्तर प्रस्तुत किए जाने के बाद,दोनों उत्तरों के प्रस्तुत होने की तारीख के बाद 30 दिन पूरे होने के बाद एक लिखित निर्णय देगा। अधिकरण का निर्णय बहुमत द्वारा किया जाएगा।

6. संविदाकारी पक्ष निर्णय के प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर निर्णय के स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं और ऐसा स्पष्टीकरण ऐसे अनुरोध के 15 दिन के भीतर जारी किया जाएगा।

7. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने राष्ट्रीय कानून के अनुरूप स्तर तक मध्यस्था अधिकरण के किसी निर्णय या अवार्ड को पूर्णत: प्रभावी बनाएगा।

8. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने द्वारा नियुक्त मध्यस्थ की लागत वहन करेगा। अधिकरण की अन्य लागतों की हिस्सेदारी संविदाकारी पक्षों द्वारा समान रूप से की जाएगी जिनमें इस अनुच्छेद के

पैरा (2) के खंड (ख) में निहित प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के क्रम में अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य द्वारा किए गए कोई भी व्यय शामिल होंगे।

अनुच्छेद 21

अवसान

कोई भी संविदाकारी पक्ष, किसी भी समय, राजनयिक सारणी के माध्यम से इस करार को समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में अन्य संविदाकारीपक्ष को लिखित रूप में सूचना दे सकता है। ऐसी सूचना साथ साथ अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भेजी जाएगी। यह करार अन्य संविदाकारी पक्ष द्वारा सूचना की प्राप्ति की तारीख की पहली वर्षगांठ से तुरंत पहले सूचना की प्राप्ति के स्थान पर मध्यरात्रि को समाप्त होगा, जब तक कि इस सूचना को इस अवधि की समाप्ति से पहले पक्षों की सहमति से वापस न ले लिया जाए। अन्य संविदाकारीपक्ष द्वारा प्राप्ति की स्वीकृति न होने की स्थिति में, इस सूचना को अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा सूचना की प्राप्ति के चौदह दिनों बाद प्राप्त हुआ माना जाएगा।

अनुच्छेद 22

इकाओ में पंजीकरण

यह करार और इसके सभी संशोधन, अनुबंध के संशोधनों को छोड़ कर, हस्ताक्षरित होने पर, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन में पंजीकृत किए जाएंगे।

अनुच्छेद 23

प्रभावी होना

यह करार दोनों संविदाकारीपक्षों के बीच यह पुष्टि करने वाले अनुवर्ती राजनयिक टिप्पणियों, कि प्रत्येक पक्ष ने इस करार और इसके अनुबंध को लागू करनेके लिए आवश्यक आंतरिक क्रियाविधियों को पूरा कर लिया है, के आदान प्रदान की तारीख से लागू होगा।

इसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरियों ने, अपनी अपनी सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत होने के नाते, इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

दिनांक__________ दिन __________(माह तथा वर्ष) को ____________में दो मूल प्रतियों में,किए गए करार का अंग्रेजी भाषा वाला पाठ प्रामाणिक पाठ होगा। इस करार का हिन्दी भाषा में अनुवाद तैयार कराया जाएगा और अंग्रेजी भाषा के साथ इनकी अनुरूपता की पुष्टि करने वाली राजनयिक टिप्पणियों के आदान-प्रदान द्वारा सहमति होने पर ये दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक होगें। व्याख्या में किसी मतभेद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

कृते
भारत गणराज्य सरकार

कृते
फिलीपींस गणराज्य सरकार

अनुबंध

मार्ग अनुसूची

<u>खंड 1</u>

<u>भारत गणराज्य की सरकार द्वारा नामित एयरलाइनें निम्नलिखित मार्गों पर सहमत सेवाओं के प्रचालन के लिए पात्र होंगी :</u>

प्रारम्भ स्थल	मध्यवर्ती स्थल	फिलीपींस में स्थल	आगे के स्थल
भारत में बिंदु			

<u>खंड 2</u>

<u>फिलिपींस की सरकार द्वारा नामित एयरलाइनें निम्नलिखित मार्गों पर सहमत सेवाओं के प्रचालन के लिए पात्र होंगी :</u>

प्रारम्भ स्थल	मध्यवर्ती स्थल	फिलीपींस में स्थल	आगे के स्थल
फिलिपींस में बिंदु			

<u>खंड-।।।</u>

1. खंड । तथा खंड ।। में उल्लिखित स्थलों के लिए उनका प्रयोग नाम के क्रमानुसार किया जाना आवश्यक नहीं है।

2. खंड-I एवं खंड-II में मार्ग 1 तथा 2 के अंतर्गत मध्यवर्ती या आगे के स्थलों को उपलब्ध कराया जाएगा बशर्ते ऐसे बिंदुओं और अन्य पक्ष के क्षेत्र में किसी अन्य बिंदु के बीच 5वें मुक्त यातायात अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
3. संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में दो बिंदु अन्य संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइनों द्वारा समान उड़ान पर सेवित नहीं होंगी।

परिशिष्ट-ग

अनुबंध

मार्ग अनुसूची

खंड 1

भारत गणराज्य की सरकार द्वारा नामित एयरलाइनें निम्नलिखित मार्गों पर सहमत सेवाओं के प्रचालन के लिए पात्र होंगी :

i) मार्ग I

प्रारम्भ स्थल	मध्यवर्ती स्थल	फिलीपींस में स्थल	आगे के स्थल
भारत में बिंदु	बैंकॉक	मनीला और भारत द्वारा चयन किए जाने वाले कोई 3 अतिरिक्त बिंदु	शून्य

ii) मार्ग 2

प्रारम्भ स्थल	मध्यवर्ती स्थल	फिलीपींस में स्थल	आगे के स्थल
भारत में बिंदु	शून्य	मनीला को छोड कर कोई अन्य बिंदु	शून्य

खंड ।।

फिलिपींस की नामित एयरलाइनें निम्नलिखित मार्गों पर सहमत सेवाओं के प्रचालन के लिए पात्र होंगी :

i) मार्ग ।

प्रारम्भ स्थल	मध्यवर्ती स्थल	फिलीपींस में स्थल	आगे के स्थल
फिलिपींस में बिंदु	बैंकॉक	मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई	शून्य

ii) मार्ग 2

प्रारम्भ स्थल	मध्यवर्ती स्थल	फिलीपींस में स्थल	आगे के स्थल
फिलिपींस में बिंदु	शून्य	अहमदाबाद, अमृतसर, औरंगाबाद, भुवनेश्वर, गया, गोवा, गुवाहाटी, जयपुर, खजुराहो, कोची, कोजीकोड, लखनउ, पटना, पोर्ट ब्लेयर, तिरूवनन्तपुरम, तिरिचिरापल्ली, वाराणसी, विशाखापत्तनम	शून्य

खंड-।।।

1. खंड । तथा खंड ॥ में उल्लिखित स्थलों के लिए उनका प्रयोग नाम के क्रमानुसार किया जाना आवश्यक नहीं है।
2. खंड-। एवं खंड-॥ में मार्ग 1 तथा 2 के अंतर्गत मध्यवर्ती या आगे के स्थलों को उपलब्ध कराया जाएगा बशर्ते ऐसे बिंदुओं और अन्य पक्ष के क्षेत्र में किसी अन्य बिंदु के बीच 5वें मुक्त यातायात अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
3. किसी भी पक्ष की नामित एयरलाइनें, खंड । तथा ।। के मार्ग । पर पात्रता के भीतर प्रत्येक दिशा में प्रति सप्ताह अधिकतम 7 आवृत्तियों पर केवल बैंकॉक के रास्ते मध्यवर्ती 5वें स्वतंत्रता यातायात अधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं।
4. संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में दो बिंदु अन्य संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइनों द्वारा समान उड़ान पर सेवित नहीं होंगी।

*****